

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1717]	नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 2, 2014/भाद्र 11, 1936
No. 1717]	NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 2, 2014/BHADRA 11, 1936

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)
आदेश
नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2014

का.आ. 2200(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के पश्चात् वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग), भारत सरकार की 19 नवंबर, 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2953(अ) में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः-

उक्त आदेश के खंड-2 के उप-खंड (ख) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

“उपयुक्त प्राधिकारी” से तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जो औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में अवर सचिव अथवा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार में अवर सचिव के पद से नीचे के पद पर न हो अथवा राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश के जिला उद्योग केन्द्र में महाप्रबंधक के पद से नीचे के पद पर न हो अथवा महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा नामित उपयुक्त अधिकारी हो;”

[फा.सं. 16(72)/2005-एल आर]

शुभा सिंह, संयुक्त सचिव

नोट: मूल अधिसूचना 19 नवंबर, 2009 को भारत के राजपत्र (असाधारण) में का.आ. 2953(अ) द्वारा जारी की गई थी तथा बाद में 11 मई, 2010 के का.आ. 1057(अ) तथा 9 नवंबर, 2010 के का.आ. 2758(अ) द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Industrial Policy and Promotion)****ORDER**

New Delhi, the 1st September, 2014

S.O. 2200 (E).—In exercise of powers conferred by Section 14 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986), the Central Government after consulting the Bureau of Indian Standards hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) No. S.O. 2953(E), dated the 19th November, 2009, namely:-

In sub-clause (b) of clause 2 of the said order, the following shall be substituted:-

“ “Appropriate Authority” means an officer not below the rank of an Under Secretary in the Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP) or an Under Secretary in the Ministry of Road Transport and Highways, Government of India or an officer not below the rank of a General Manager, District Industries Centre of a State or Union Territory or appropriate officer nominated by Director General, Bureau of Indian Standards;”

[F. No. 16(72)/2005-LR]

SHUBHRA SINGH, Jt. Secy.

Note:- The Principal notification was issued in the Gazette of India (Extraordinary) *vide* S.O. 2953(E), dated the 19th November, 2009 and subsequently amended *vide* S.O. 1057(E), dated 11th May, 2010 and S.O. No. 2758(E), dated 9th November, 2010.